

अनुमति की शर्तें ।

- (i) संकाय भवन / भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत भवने के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत विरस्त की जा सकती है ।

फ़कल खिड़की केवल आवासीय ज़मीनगार

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी + 1

आवासीय

आवेदन क्रमांक 255 दिनांक 05/11/2020

प्राथमिक ज़मीनी सर्वेक्षण केंद्र W/O श्री प्रदीप सिंह शर्मा ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008 p. No = 477 द्वारा संख्या

द्वारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय 133, 287, 01 ग्राम - जोधपुर

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 26000/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2069/1659 1660

दिनांक 05/11/2020 को जमा करा दी है ।

Date 6/11/2020

सहायक नगर नियांजक
नगर निगम, जोधपुर

Received

[Signature]

5/11/2020